



न्यायालय श्रीमान अशोक महादेव, राजस्व मण्डल व्यालियर केम्ब श्रीपाल
- क्रमांक १५५७-PDR-१५ -

पुनरीक्षण कर्ता क्र-

मैदानकुमारा द्वा आ/ स्क श्री कुंजीलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम पिपलिया बाज खाँ श्रीपाल — पुनरीक्षणकर्ता ,

विद्व

बाला प्रसाद आ/ श्री स्क. कुंजीलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम पिपलिया बाज खाँ तहसील हुजुर
जिला श्रीपाल रुम०४०४

रेस्पाइन्ट

(206) अधिकारी शिवारी १९५९

अद्य॑० इच्छा आज
४० ४/८/१५९६

श्रुति

४४/८/६/१५
अधीक्षक
कार्यालय कमिशनर
श्रीपाल सभाग, श्रीपाल

पुनरीक्षण आवेदन पन अन्तर्गत धारा ५० म०४० द्वा राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के सभी निम्न निवेदन करता है:-

अनावेदक / रेस्पाइन्ट द्वारा वर्ष २०१३-१४ में ग्राम पिपलिया
बाज खाँ तहसील हुजुर जिला श्रीपाल स्थित कृषि इमि खारा
नम्बर १३२/२, १३३/२, १३४/२, का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया गया। जिसपर पुनरीक्षण द्वारा आपाप्त प्रस्तुत की
गई। वी अधीन्सव न्यायालय के द्वारा दिनांक ०१-६-१५ को अंक्षा
निक सीमांकन किया गया है। पुनरीक्षण कर्ता की आपाप्त मान्य
करते हुवे सीमांकन की कार्यवाही रोक दी गयी थी। जिसे
अधीन्सव न्यायालय नायव तहसीलदार वृत्त न २ श्रीपाल ने प्रकरा
क्र ५/अ-१२/१३-१४ से चिन्हित किया दिनांक ३०-५-१५ को हेतु
अंक्षानिक सम से सीमांकन किया गया आपाप्त प्रस्तुत करने वाल
का कोई अक्सर नहीं दिया गया जिसके विहद्व यह छिक्कीरिक्षण
माननीय न्यायालय के सभी प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1557-पीबीआर/15

जिला भोपाल

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|-------------------|---|--|
| 26-3-18 | <p>आवेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा अनावेदक का सही पता भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में तथा अनावेदक का सही पता नहीं दिये जाने के कारण अवेट की जाती है ।</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>अध्यक्ष</p> |